न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 194/2023

अनवान : –

1. मोटाराम पुत्र रामजस (फौत)

1/1. दानाराम पुत्र मोटाराम उम्र 60 वर्ष जाति खाती निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

1/2. मोहनी पुत्री मोटाराम उम्र 56 वर्ष जाति खाती निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

1/3. हरकौरी पुत्री मोटाराम उम्र 50 वर्ष जाति खाती निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

1/4. बनवारी पुत्र मोटाराम उम्र 45 वर्ष जाति खाती निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

1/5. रूपराम पुत्र मोटाराम (फौत)

1/5/1. भंवरी पत्नी रूपराम जाति खाती निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

1/5/2. राजपाल पुत्र रूपराम जाति खाती निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

1/5/3. ओमप्रकाश पुत्र रूपराम जाति खाती निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

1/5/4. राकेश कुमार पुत्र रूपराम जाति खाती निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

1/5/5. गंगा पुत्री रूपराम जाति खाती निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

1/6. खिवनी पुत्री मोटाराम जाति खाती निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

– **सायलान**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
3. रामस्वरूप पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
4. रामकुमार पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
5. श्योचन्द पुत्र भागाराम जाति ब्राहमण निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
6. गोरीशंकर पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
7. जयलाल पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
8. रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

– **गैरसायालान**

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता **सायलान**
2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांक: 26/10/23

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के सम्बिका खसरा न0 69 की 100 बीघा भूमि स्थित थी जिस पर सायलान के पिता वर्ष 2012 से लगातार खेती करते चले आ रहे थे उक्त भूमि पैमाईश के हाल खसरा न0 147 की 3.5410 हैक्ट व खसरा न0 213 की 21.

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

7510 हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में संपरिवर्तित हो चुकी है उक्त भूमि बाबत खातेदारी अधिकारी बाबत सायलान के पिता मोटाराम ने एक दावा वाद संख्या 146/1991 बअदालत उपखण्ड अधिकारी नोहर में पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 30.03.92 को वाद खारिज किया गया। उक्त निर्णय की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय दिनांक 05.06.1995 को सायलान के पिता मोटाराम को काश्तकार घोषित किया गया। उक्त निर्णय की रिव्यू पिटिशन पेश की गई पिटिशन संख्या 03/95 का निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा 01.10.96 को करते हुए आदेश किया की विवादित भूमि अब नोहर साहवा क्षेत्र में आ चुकी है जिसमें आरटीएक्ट 15 एएए के अन्तर्गत खातेदारी देने के प्रावधान कर दिये गये है इस लिए अपीलांट 1995 से पूर्व का काश्तकार होने से अधिनस्थ न्यायालय में आरटीएक्त 15 एएए के ही हक प्राप्त कर सकता है तथा न्यायिक निर्णय के अनुसरण में सरकार का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अदालत हाजा का निर्णय दिनांक 05.06.1995 को आंशिक रूप से तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.03.1992 को निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 05.06.1995 व 01.10.96 के विरूद्ध एक अपील नानकोरी पत्नी गणेशाराम द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 1/97 पेश की गई उक्त अपील का निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 03.06.2002 को करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05. 06.95 व 01.10.96 को निरस्त करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक व डिक्री दिनांक 30.03.1992 यथावत रखा गया। सायलान के पिता मोटाराम ने राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्ध एक एसबी सिविल रिट न्यायालय जाधपुर में पेश की माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2022 को राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 30.06.2002 निरस्त व संशोधित करते हुए राजस्व मण्डल अजमेर ने अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 01.10.1996 के मुताबिक अपील कानूनी कार्यवाही करने की सायलान को लिबर्टी दी गई इस कारण सायलान द्वारा 15 एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है।

उक्त वाद भूमि पहले मोटाराम पुत्र रामजस तथा बाद देहान्त मोटाराम के वारिसान सायलान के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा सायलान आज तक काबिज है। गैरसायलान 2 ता 3 जो कि उक्त विवादित भूमि के चिपते पड़ौसी काश्तकार है जो गैरसायलान संख्या 4, 5, 7 के विवादित भूमि के पड़ोसी सीवं पर वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर मकानात बने हुए है एवं उक्त विवादित भूमि इनके चिपती होने के कारण आए दिन सायलान को तंग व परेशान करते है जबरिया सींव डोल तोड़कर दखल देने की कोशिश करते है एवं सायलान व गैरसायलन सींव डोल को लेकर आपस में रोजाना तकाजा रहता है इसलिए गैरसायलान संख्या 2 ता 8 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवा पाने के अधिकारी हैं।

अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के खसरा न0 147 की 3.5410 हैक्ट भूमि व खसरा न0 213 की 21.7510 हैक्ट भूमि की गैरसायलान संख्या 2 ता 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वाद भूमि में सींव डोल न तोड़े तथा कब्जा काश्त की भूमि में प्रवेश न करें एवं सायलान को कब्जा काश्त भूमि में काश्त करने से न रोके।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के खसरा न0 147 की कुल 3.5410 हैक्ट भूमि व खसरा न0 213 की 21.7510 हैक्ट भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि वे प्रार्थीगण के मौका एवं कब्जा काश्त की भूमि में प्रवेश न करें।

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया गया की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट संख्या 3474/2002 में पक्षकारान को नये प्रोविजन में कार्यवाही करने का अवसर दिया जिस पर माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष पुन रिट स0 37/2023 श्योचन्द बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरहा प्रस्तुत की जो कि जैरकार है अतः रिट के जैरकार रहते स्थगन गैर कानूनी है। माननीय न्यायालय जोधपुर द्वारा दुबारा वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत नही किया है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है। उक्त वाद भूमि पर सायलान का कभी कब्जा काश्त नही रहा है और नही कभी कब्जा काश्त में रही है। गैरसायल संख्या 2 व 3 चिपते पड़ौसी नही है जबकि वाद भूमि गैरसायलान के करीबन सैंकड़ो वर्षो से अधिक समय से मकानात बने हुए है। उक्त मकानात भूमि में जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड कम्पनी द्वारा विधुत कनेक्शन दिये हुए है तथा पक्की सड़के बनी हुई है तथा ख0न0 213 पर मौके पर आबादी बसी होने के कारण काश्त योग्य नही रहा है। गैरसायलान ने दरख्वास्त में समस्त तथ्यों को छुपाया है तथा क्लीन हेण्ड नही आया है दरख्वास्त सायलान काबिल खारिजी के है। सायलान वाद भूमि के किसी श्रेणी के टीनेन्ट नही है तथा वाद भूमि धारा 16 काश्तकारी अधिनियम सन 1955 के अनुसार गै0मु0 है तथा गै0मु0 भूमि पर सायलान स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया। प्रकरण में प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि पूर्व मे हमारे पूर्वजो के नाम थी तथा वर्तमान में भी प्रार्थीगण उक्त वाद भूमि पर काबिज काश्त करते आ रहे है। जमाबंदी सम्वत 2011 ता 14 से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि पर पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज यानि की मोटाराम काबिज थे। अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि में हमारे मकानात बने हुए है तथा बिजली व पानी के कनेक्शन भी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से भी स्पष्ट साबित है कि अप्रार्थीगण भी उक्त वाद भूमि पर रिहायश बनाकर काबिज है। अप्रार्थीगण के जिस जगह मकानात/रिहायशी बाड़े बने हुए हुए वहां अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है लेकिन प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त की भूमि हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होता है। वाद भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों काबिज होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में बन रहा है। रोही मौजा टिडियासर के खसरा न0 147 की 3.5410 हैक्ट भूमि व खसरा न0 213 की 21.7510 हैक्ट भूमि में से प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की बेदखल न करने हेतु अप्रार्थीगण को तादैसला तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना तथा अप्रार्थीगण के कब्जा भूमि जिसमें अप्रार्थीगण के मकानात/रिहायशी बाड़े आदि बने है उन पर जारी स्थगन आदेश निष्प्रभावी किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काबिल आंशिक स्वीकार होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा टिडियासर के खसरा न0 147 की 3.5410 हैक्ट भूमि व खसरा न0 213 की 21.7510 हैक्ट भूमि में से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त भूमि में किसी प्रकार की बेदखल न करने हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के कब्जा भूमि जिसमें अप्रार्थीगण के मकानात/रिहायशी बाड़े आदि बने है अर्थात अप्रार्थीगण के कब्जा की हद तक दिनांक 04.08.2023 को जारी स्थगन आदेश निष्प्रभावी किया जाता है एवं उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि एक दुसरे के कब्जा काश्त, मकानात/रिहायशी बाड़े में दखल न करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/10/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:07 IST
Reason: SelfAttested